अध्याय-3

प्रतिवेदन का नौवाँ खंड

3.1 जैसाकि अध्याय-2 में विस्तृत जानकारी दी गई है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(1) के अंतर्गत सन् 1976 में किया गया था, जिसके तहत समिति को यह दायित्व सौंपा गया कि वह संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में की जा रही प्रगति की समीक्षा करे और उस पर अपनी सिफारिशें करते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। तब से यह समिति अपने सांविधानिक दायित्व का पालन करते हुए अब तक प्रतिवेदन के आठ खंड महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत कर चुकी है। समिति की विभिन्न सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर आदेश पारित किए गए हैं। समिति सचिवालय ने इन आदेशों को संकलित कर प्रकाशित भी करवाया है। यह प्रकाशन "समिति के प्रतिवेदन के आठ खंडों पर किए गए राष्ट्रपति जी के आदेशों का संकलन" नाम से जाना जाता है। समिति द्वारा राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत आठ खंडों से संबंधित संक्षिप्त चार्ट अनुबंध-1 पर संलग्न है।

3.2 समिति का यह दृढ मत है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के विभिन्न प्रावधानों एवं राजभाषा नियम, 1976 की विभिन्न मदों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कराने में आने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए समिति द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समिति ने पाया कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा पारित आदेशों के कार्यान्वयन से सरकारी कार्यालयों के कामकाज में हिंदी के प्रयोग को उत्तरोत्तर गति मिल रही है।

3.3 संघ के कामकाज में हिंदी की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अतिरिक्त अन्य कई समितियाँ इस कार्य में अपना योगदान कर रही हैं, परंतु, संसदीय राजभाषा समिति दूसरे सभी अभिकरणों से हटकर राजभाषा की प्रगति को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखती है। समिति हिंदी के प्रचार-प्रसार को समग्र रूप में अर्थात हिंदी भाषी एवं गैर हिंदी भाषी लोगों, हिंदी भाषी एवं गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों, कामकाज की प्रकृति, स्थितियों/परिस्थितियों की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता को पूरी तरह दृष्टिगत रखते हुए इन सभी घटकों का बारीकी से अध्ययन करती है एवं इन सभी पहलुओं पर सम्यक रूप से विचार व विश्लेषण कर अवरोधों को दूर करने के लिए संभावित उपाय खोजती है तथा इन्हें अपनी सिफारिशों के रूप में राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त हिंदी से संबंधित तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु समिति भारत सरकार, गृह मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों से विचार-विमर्श करती है।

3.4 राष्ट्रपति जी को सौंपे जाने वाले प्रतिवेदन को तैयार करने के उद्देश्य से यह समिति, राजभाषा की प्रगति की समीक्षा करने के लिए कई विधाएँ अपनाती है। उदाहरण के तौर पर संसदीय राजभाषा समिति की तीनों उप समितियाँ देश के कोने-कोने में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों/निगमों/संस्थानों आदि का मौके पर जाकर निरीक्षण करती हैं। इसके अतिरिक्त समिति केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के

सचिवों/प्रमुखों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों एवं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े अन्य गणमान्य व्यक्तियों से साक्ष्य लेती है और उनसे राजभाषा की प्रगति के विषय में सुझाव भी प्राप्त करती है। तीसरी विधा के रूप में संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति, जो कि संपूर्ण समिति की एक नीति निर्धारक समिति है, देश की विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों एवं उनके कुछेक सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों से उनके नगर में जाकर राजभाषा हिंदी की प्रगति के बारे में व्यापक विचार-विमर्श करती है। 01 अप्रैल, 2005 से 30 सितम्बर, 2010 तक की अवधि के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की तीनों उप समितियों ने 49 मंत्रालयों के कुल 2093 कार्यालयों का निरीक्षण किया। इसे यदि क्षेत्रवार देखा जाए तो समिति ने उक्त अवधि के दौरान क्षेत्र "क" में स्थित कुल 882 केंद्रीय सरकारी कार्यालयों क्षेत्र "ख" से कुल 342 कार्यालयों तथा क्षेत्र "ग" स्थित कुल 836 केंद्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया। समिति ने वर्ष 2006 से 2010 के बीच 7 मंत्रालयों नामत: मानव संसाधन विकास मंत्रालय; सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय; रेल मंत्रालय; विदेश मंत्रालय; नागर विमानन मंत्रालय; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सचिवों और उनके अंतर्गत आने वाले 46 संबध्द कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों का मौखिक साक्ष्य लिया। उल्लेखनीय है कि समिति ने विभिन्न आमंत्रित कार्यालयों के लिए विशेष प्रश्नावलियां तैयार करके मौखिक साक्ष्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवधि के दौरान समिति की आलेख और साक्ष्य उप समिति ने कुल 70 नराकास कार्यालयों के साथ विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्श के दौरान बहुत से मुद्दे समिति के सामने आए और समिति ने उनका समाधान किया।

3.5 इस खंड को तैयार करने के लिए संसदीय राजभाषा समिति ने निरीक्षण के लिए प्रयुक्त की गई प्रश्नावली तथा स्थानीय सर्वेक्षण के माध्यम से सूचना एकत्र की तथा आलेख एवं साक्ष्य उप समिति ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों के साथ विचार-विमर्श कर विभिन्न मदों पर उनके प्रस्ताव और सुझाव प्राप्त किए। इनके आधार पर समिति ने मंत्रालयवार व क्षेत्रवार सूचनाएँ एकत्र कर उनका विश्लेषण किया। समिति ने मंत्रालयवार व क्षेत्रवार ऑकड़ें का विश्लेषण करते हुए एक ऐसा चार्ट तैयार किया जिससे राजभाषा कार्यान्वयन में हो रही प्रगति का अवलोकन सहजता से किया जा सकता है।

3.6 संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य समिति ने दिनांक 16.11.2010 को संपन्न हुई बैठक में प्रतिवेदन के नौवें खंड को तैयार करने के संबंध में विचार किया। उस समय यह उल्लेख किया गया था कि समिति राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समसामयिक मुद्दों पर अपनी संस्तुति महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे। आलेख एवं साक्ष्य उप समिति ने उन सभी अध्यायों पर चर्चा की जिन पर प्रतिवेदन तैयार करना था। इस बैठक में श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, अध्यक्ष, आलेख एवं साक्ष्य उप समिति, प्रो. अलका बलराम क्षत्रिय, संयोजक, तीसरी उपसमिति तथा डा0 निर्मल खत्री, तत्कालीन संयोजक, दूसरी उप समिति उपस्थित थे। इनके अलावा सुश्री वीणा उपाध्याय, सचिव, राजभाषा विभाग भी उपस्थित थीं। बैठक में भाग ले रहे सभी सदस्यों ने इस खंड के प्रस्तुतीकरण के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नौवें खंड के प्रतिवेदन के मसौदे की रूप रेखा पर अपने अमूल्य सुझाव प्रदान किए। तत्पश्चात् रिपोर्ट के तैयार मसौदे पर माननीय सदस्यों ने प्रतिवेदन के नौवें खंड के प्रारूप पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए और सभी अध्यायों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत निष्कर्ष एवं सिफारिशों को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उपयोगी बताया।

3.7 प्रतिवेदन के नौवें खंड के कुल 4 भाग हैं। भाग-1 में प्रस्तावना के बाद भाग-2 में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा 01 अप्रैल, 2005 से 30 सितम्बर, 2010 के बीच किए गए 2093 कार्यालयों के निरीक्षणों के आधार पर हिंदी के प्रयोग की समीक्षा, मंत्रालयवार व क्षेत्रवार की गई है। 869 कार्यालयों का जिनका निरीक्षण प्रथम बार किया गया व 236 कार्यालयों का जिनका 10 वर्षों उपरांत पुन: निरीक्षण किया गया उनमें हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति दर्शाते हुए उनकी विशेष समीक्षा की गई है। निरीक्षणों के आधार पर सूचनाओं का विश्लेषण एवं तत्संबंधी जानकारी भी प्रस्तुत की गई है। भाग-3 में समिति ने अपने अनुभवों पर आधारित निम्नलिखित विषयों की समीक्षा प्रस्तुत की है:

1. नगर राजभाषा समितियों की सार्थकता में विद्यमान अवरोध एवं इनके बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझाव
2. राजभाषा हिन्दी के प्रयोग, शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुवाद आदि में कम्पयूटरों की नई तकनीकी की उपलब्धता एवं भूमिका (समिति द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2006 को सचिव, प्रौद्योगिकी विभाग के मौखिक साक्ष्य कार्यक्रम पर आधारित समीक्षा)
3. प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा के क्षेत्रों में हिन्दी की स्थिति (समिति के दिनांक 31अगस्त, 2006 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मौखिक साक्ष्य कार्यक्रम पर आधारित समीक्षा)
4. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिन्दी के ज्ञान की अनिवार्यता
5. केन्द्र सरकार द्वारा जारी विज्ञापनों में हिन्दी भाषा के प्रयोग की विशेषताएं
6. हिन्दी पुस्तकों का क्रय तथा हिन्दी गृह पत्रिकाओं के प्रकाशन का उद्देश्य
7. समिति द्वारा आयोजित मौखिक साक्ष्यों के दौरान प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा

3.8 प्रतिवेदन के विभिन्न अध्यायों के विस्तृत मूल्यांकन से जो सामान्य और विशिष्ट निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पर सिफारिशें भी प्रस्तुत की गई हैं जिनका उल्लेख इस खंड के भाग-4 में "निष्कर्ष एवं सिफारिशें" शीर्षक के अंतर्गत किया गया है। इस खंड में 15 अध्याय हैं जिनके आधार पर समिति ने 117 सिफारिशें की हैं।

3.9 समिति आशा करती है कि इस प्रतिवेदन में उठाए गए विभिन्न मुद्दे तथा इस संबंध में प्रस्तुत किए गए निष्कर्ष तथा सिफारिशें, संघ सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को आगे बढाने में निस्संदेह उपयोगी सिध्द होंगी और राजभाषा नीति का कारगर रूप से अनुपालन कराने में सक्रिय तथा सार्थक भूमिका का निर्वाह करने में सहायक होंगी। समिति का मत है कि समिति द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जिन प्रतिवेदनों पर महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश हो चुके हैं और संकल्प जारी हो चुके हैं उनका दृढता से पालन करवाया जाए और उच्च स्तर पर इनकी मानिटरिंग भी की जाए। सभी मंत्रालयों/विभागों एवं कार्यालयों में उनका दृढता से पालन किया जाए व निर्धारित समयावधि में हिंदी प्रशिक्षण, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण और कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण पूरा किया जाए।

3.10 समिति ने इस खंड को तैयार करते समय यह अनुभव किया कि पिछले आठ खंडों की सिफारिशों पर अमल की स्थिति का आकलन करना भी आवश्यक है। आज के परिप्रेक्ष्य में कौन सी संस्तुति किस हद तक

निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करने में सहायक है उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है ताकि उसे हिंदी की प्रगति के अनुरूप वातावरण बनाने में और अधिक उपयोगी बनाया जा सके। जिन संस्तुतियों पर अभी कार्रवाई नहीं हुई है उन पर कार्रवाई करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश की पुनरावृत्ति की भी आवश्यकता है। समिति ने यह भी अनुभव किया कि अभी कई क्षेत्रों में कार्य निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे है, उसे प्राप्त करने के लिए निरीक्षण तथा विचार-विमर्श के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त की जाए कि उन लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग में बाधाएँ क्या हैं तथा उनका संभावित उपाय क्या है? इसके लिए महत्वपूर्ण मंत्रालयों/विभागों आदि से मौखिक साक्ष्य लेकर उन तथ्यों पर विचार किया जाना शेष है।

3.11 यह भी उल्लेखनीय है कि मौजूदा आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग में अनेक कार्यालय/उपक्रम/बैंक अपनी सेवाओं का विस्तार विदेश में कर रहे हैं । विश्व के प्रमुख शहरों में भारत सरकार के कार्यालयों/दूतावासों की संख्या लगभग 175 है और समय की मांग के अनुसार इनकी संख्या में वृध्दि हो रही है । इन सभी कार्यालयों में राजभाषा नीति की स्थिति का आकलन करना बहुत आवश्यक है । बहुत से उच्चायोगों एवं दूतावासों में भी राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया जाना अभी भी शेष है । यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि सातवें, आठवें और नौवें खंड में विदेश स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया जा सका क्योंकि समिति के पास इस संबंध में कोई अद्यतन सूचना एवं आंकडे उपलब्ध नहीं थे । समिति भविष्य में विदेश में स्थित भारत सरकार के कार्यालयों का निरीक्षण कार्य निष्पादित करके विदेश में राजभाषा के प्रयोग के बारे में तथ्यपरक संस्तुति करना चाहेगी । साथ ही, मौजूदा वैश्वीकरण के परिवेश में और वैश्विक बाजार की शक्तियों के प्रभाव को देखते हुए किस प्रकार हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की सातवीं आधिकारिक भाषा का स्थान दिलाया जाए, इस विषय पर भी समिति अपनी संस्तुती देना चाहेगी ।

3.12 देश भर में स्थित केंद्र सरकार की ऐसी अनेक शैक्षिक संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिनका समिति द्वारा निरीक्षण किया जाना है । राजभाषा हिंदी को शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षण व प्रशिक्षण की भाषा कैसे बनाया जा सकता है तथा तकनीकी व अनुसंधान के क्षेत्र में किस प्रकार हिंदी को मूल भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, इस पर अभी बहुत सोच विचार करना है। भारत सरकार की विज्ञापन नीति के संदर्भ में सितंबर, 2004 से निरीक्षण प्रारंभ किया गया है, अतएव अभी बहुत जानकारी प्राप्त करना शेष है। इसलिए सरकार की विज्ञापन नीति पर भी समिति किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाई है। इस विषय पर अभी बहुत अधिक कार्य करना शेष है तथा बहुत से विषय अभी अछूते हैं।

3.13 देश भर में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में राजभाषा विभाग के नियंत्रणाधीन आठ क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारते हुए समिति यह चाहेगी कि सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा की जाए । इस प्रयोजनार्थ समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों का समय-समय पर विशेष निरीक्षण किया जाना अभी शेष है

3.14 समिति यह महसूस करती है कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रोत्साहन योजनाओं की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया जाना नितांत आवश्यक है । ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपना अधिकाधिक सरकारी कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रेरित किया जा सके और परिणामस्वरूप सभी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढे ।

3.15 सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समारोहों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों आदि के आयोजन में राजभाषा हिन्दी का समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए । उदाहरणार्थ, आयोजन से संबंधित नियंत्रण पत्र हिन्दी में छपवाए जाने चाहिए, उद्घाटन भाषण, धन्यवाद ज्ञापन इत्यादि हिन्दी में दिए जाए और मंच संचालन की कार्रवाई में भी हिन्दी का प्रयोग किया जाए ।

3.16 अतएव उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अभी मौखिक साक्ष्य एवं निरीक्षण आदि कार्यक्रमों को जारी रखने की महती आवश्यकता है क्योंकि समिति को अभी भी बहुत सी मदों पर अपनी सिफारिशें देनी शेष हैं। इन सब कारणों को देखते हुए समिति का अभी बने रहना और प्रतिवेदन के अगले खंडों में उन मदों पर सिफारिशें करना अत्यंत आवश्यक है।

.....